BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक 26 नवम्बर 2023 **थाना सलेमपुर**

हत्या की घटना में वांछित 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी अवैध असलहा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 26.11.2023 को थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा एक अभिसूचना पर अभियुक्त निशान्त को ग्राम हुर्थला पुल के पास से अवैध असलहा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना सलेमपुर पर पंजीकृत मुअसं- 234/23 धारा 302,120बी भादवि में लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सलेमपुर पर मुअसं- 261/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर दिनांक 30.10.2023 को धान बेचकर वापस लौट रहे एक व्यक्ति रामभूल की रास्ते में हत्या कर दी गयी थी इस घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तो को पूर्व में ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. निशान्त पुत्र मनोज निवासी ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल नं0- UP13-BZ-1604

अभियुक्त निशान्त का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 234/23 धारा 302,120बी भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 261/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री पम्मी चौधरी थानाध्यक्ष थाना सलेमपुर
2. है0का0 रुपेन्द्र सिंह, है0कां0 जनेश्वर कुमार

मीडिया सैल बुलन्दशहर